

सेवामें

श्रीमान् तहसीलदार साहब
दूनी।

प्रशासन गांवों के संग कैम्प 2021
दि.

(202)
1131

विषय:- ग्राम सीतापुरा की जमाबंदी के खाता सं० 59 में नाम/पित्त का नाम/जमति दुरुस्ती करने
बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा०ले०रे० एक्ट 1956 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सीतापुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं० 59 में
मेरा नाम/पित्त का नाम/जमति गलत रूप से नन्दा पुत्रा जेठवा भाई दर्ज है। मेरा सही
नाम/पित्त का नाम/जमति नन्दा पुत्रा जेठवा भाई है।
अतः सही नाम/पित्त का नाम/जमति दुरुस्त कराने की कृपा करावें।

नन्दा
प्रार्थी

रिपोर्ट पटवारी

महोदय

निवेदन है कि ग्राम सीतापुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं० 59 पर प्रार्थी का
नाम/पित्त का नाम/जमति नन्दा पुत्रा जेठवा भाई दर्ज है। प्रार्थी ने शपथ पत्र एवं
संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना नाम/पिता का नाम/जाति नन्दा पुत्रा जेठवा भाई
करवाने का निवेदन किया है। हितबद्धधारी(प्रार्थी) की स्वीकारोक्ति एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का
नाम/पित्त का नाम/जाति नन्दा पुत्रा जेठवा भाई दर्ज किया जाना सही प्रतीत होता है। अतः
प्रार्थी का नाम/पित्त का नाम/जमति नन्दा पुत्रा जेठवा भाई दर्ज किये जाने की अनिशंका
की जाती है।

अरि
हस्ताक्षर पटवारी
प. इ. नि. सा. पु. रा.

श्री
हस्ताक्षर मू०अ०नि०

कार्यालय तहसीलदार दूनी कैम्प सीतापुरा

क्रमांक 18

दिनांक 14/21

रिपोर्ट पटवारी हल्का सीतापुरा मू०अ०नि० वृत्त सीता एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं
संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम सीतापुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता संख्या 59 में
प्रार्थी नाम/पित्त का नाम/जमति सही रूप से नन्दा दर्ज किये जाने
की अनिशंका के साथ प्रकरण मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली की सेवामें सादर प्रेषित है।

(450)
2021
क्रमांक

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली
कैम्प/21

नन्दा
तहसीलदार(मू०अ०)
दूनी
दूनी जिला-टोंक

दिनांक:-

तहसीलदार इनी की अनिशंका अनुसार उपखण्ड अधिकारी की पत्रवित्ति
संवत् 2077 के खाते के खाता सं 59 पर उपखण्ड अधिकारी के
के खाते पर नन्दा पुत्रा (जेठवा) दर्ज रूप से किया जाने के
अनुमत किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)